दिनांक 26/01/2024 को धोखाधड़ी से लोगो के एटीएम बदलकर उनके खाते से पैसे निकालने वाला एक शातिर अभियुक्त को दून पुलिस ने किया गिरफ्तार।

दि0 24/01/2024 को वादी श्री सचिदानन्द पुत्र स्व0 श्री पुरुषोत्तम दत्त निवासी कारबारी ग्रान्ट, कोतवाली पटेलनगर, जनपद देहरादून द्वारा कोतवाली पटेलनगर पर एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 13-01-2024 को वह भुड्डी गाँव स्थित पंजाब नेशनल बैंक के ATM मे पैसे निकालने गए थे, इसी दौरान वहाँ पर एक लडके ने उन्हें बातो मे उलझाकर उनका ATM कार्ड बदल लिया और उनके खाते से सारे पैसे निकाले लिए। वादी की तहरीर के आधार पर थाना पटेलनगर पर मु0अ0सं0- 61/2024 धारा 420 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। मामले की गम्भीरता को देखते हुए घटना का अनावरण हेतु एसएसपी देहरादून द्वारा दिए गए निर्देशे के क्रम में घटना के अनावरण हेतु अलग- अलग पुलिस टीमो का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा सुरागरसी / पतारसी व मुखबीर मामूर कर अभियुक्त के संबंध में जानकारी एकत्रित की गई तथा पूर्व में एटीएम ठगी की घटनाओं में जेल गए अभियुक्तो के संबंध में जानकारी एकत्रित कर उनकी अध्यतन स्थिति की जानकारी की गई। पुलिस टीम द्वारा किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप दिनांक 25-01-2024 को पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर घटना में शामिल अभियुक्त सोनू उर्फ कमल गुप्ता पुत्र स्व0 श्री मिठ्न लाल निवासी ग्राम ढकरानी पो0ओ0 विकासनगर जनपद देहरादून हाल पता बादशाहीबाग, थाना मिर्जापुर, जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, उम्र 40 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से धोखाधडी से एटीएम बदलकर निकाले गए कुल 90400/-रु0 , 01 अदद ATM कार्ड (वादी), 01 सोने की चैन मय ओम लॉकेट , 01 अदद मोबाइल फोन OPPO कम्पनी, विभिन्न बैंको के 25 ATM कार्ड व घटना मे प्रयुक्त मोटर साईकिल सं0- UP 11 CB- 7989 (TVS Redeon) बरामद की गई। बरामद सभी माल को कब्जे पुलिस लिया गया, अभियुक्त को आज नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त :-

सोनू उर्फ कमल गुप्ता पुत्र स्व0 श्री मिठ्न लाल निवासी ग्राम ढकरानी पो0ओ0 विकासनगर, जनपद देहरादून हाल पता बादशाहीबाग थाना मिर्जापुर, जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, उम्र 40 वर्ष ।

विवरण पूछताछः-

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 13-01-2024 को भुड्डी नयागाँव स्थित PNB के ATM से उसके द्वारा एक व्यक्ति को बातो मे उलझाकर उनका ATM कार्ड धोखाधडी से बदल दिया था, जिससे निकले गए पैसो से उसने सोने की चैन मय लॉकेट व मोबाइल फोन आदि सामान खरीदा था। अभियुक्त द्वारा पूर्व में कोतवाली नगर क्षेत्र में स्वयं को एटीएम गॉर्ड बताकर लोगो के ATM बदलकर धोखाधडी की घटनाओं को अंजाम दिया गया था, जिसमे कोतवाली नगर पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। अभियुक्त के विरुद्ध देहरादून के अतिरिक्त हरिद्वार तथा सहारनपुर में भी चोरी तथा अन्य आपराधिक मामलों के अभियोग पंजीकृत है।

अभियुक्त से बरामदगी का विवरण :-

01- नगदी कुल- 90400/-रु0

02- एक अदद ATM कार्ड (वादी)

03- सोने की चैन मय लॉकेट -01

04- मोबाइल फोन -01 OPPO कम्पनी

05- विभिन्न बैंको के 25 ATM कार्ड

06- घटना मे प्रयुक्त मोटर साईकिल सं0-UP11CB-7989 (TVS Redeon)

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1- मु0अ0सं0 - 131/17 धारा 406/411 भादवि थाना सहसपुर देहरादून।

2- मु0अ0सं0 356/21 धारा 376/452/504/506 भादवि थाना कुतुबशेर सहारनपुर उ0प्र0।

3- मु0अ0सं0 175/23 धारा 420/380/411 भादवि थाना कोतवाली नगर देहरादून

4- मु0अ0सं0 229/23 धारा 420/380/411 भादवि कोतवाली नगर देहरादून

5- स्कूटी चोरी गंगनहर कोतवाली, हरिद्वार

पुलिस टीम :-

01- उ0नि0 मयंक त्यागी, चौकी प्रभारी नयागाँव कोतवाली पटेलनगर, 02- हेड कानि0 सन्दीप कुमार, 03- हेड कानि0 सुनीत कुमार, 04- कानि0 नितिन, 07- कानि0 आबिद